18

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या:– 02/2017

अपीलार्थीगण	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
1– चौखाराम पुत्र निम्बाराम 2– जबराराम पुत्र निम्बाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम सालोड़ी, तहसील व जिला जोधपुर।		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.09.2016 जो राजस्व प्रकरण सं. 06/2016 सरकार बनाम चौखाराम वगैरा में नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिया गया।

उपस्थिति :–

आदेश दिनांक 13.03.2018

1– अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।
2– प्रत्यर्थीपक्ष अनुपस्थित।

:– आदेश –:

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम सालोड़ी तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर क्रमशः 366, 368व 367 रकबा 21.00, 5.00 व 2.00 बीघा कुल रकबा 28 बीघा भूमि में गैर कानूनी रूप से काश्त करने के कारण अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर ने धारा 91, राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया तथा बाद सुनवाई दिनांक 14.09.2016 को फसल निलामी एवं बेदखली का आदेश नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील मीमों मय धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम प्रार्थना–पत्र पेश किया।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीपक्ष का नोटिस बाद तामील लौटा। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने के पश्चात् अपीलार्थीपक्ष के अधिवक्ता को बहस करने के कई अवसर दिये गये। आज दिनांक 13.03.2018 को कई मर्तबा आवाजें दिलाने के बावजूद अपीलार्थीपक्ष एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना तय किया गया।

अपीलार्थीपक्ष की ओर से अपील में बतलाया गया कि वाके ग्राम सालोड़ी तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर क्रमशः 366, 368 व 367 रकबा 21.00, 5.00 व 2.00 बीघा कुल रकबा 28 बीघा भूमि में गैर कानूनी रूप से काश्त करने के कारण अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर ने धारा 91, राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया तथा बाद सुनवाई दिनांक 14.09.2016 को फसल निलामी एवं बेदखली का आदेश नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया

लगातार

गया। अपीलार्थीगण को नोटिस मिलने पर अपीलार्थी तहसील कार्यालय जोधपुर गया तब पता चला कि खेत खसरा नं. 366, 368 व 367 की कुल 28 बीघा भूमि पर नाजायज काश्त व अतिक्रमी बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता की नियुक्ति कर दिनांक 26.09.2016 को जबाब प्रस्तुत किया गया। अपील में आगे बतलाया कि जबाब के प्रत्येक बिन्दुवार का निस्तारण न करते हुए मात्र अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली एवं फसल कुर्की करने का आदेश पारित किया गया। विवादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने यानि 15.10.1955 से पहले अपीलार्थीगण के दादा कर्ताखानदान किरताराम के समय से कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक शांतिपूर्वक चला आ रहा है अतः वो स्वतः ही खातेदारी अधिकार धारण किया हुआ माना जावेगा। इस कारण अपीलार्थी अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। अपील के अन्त में अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली, जुर्माना एवं मलबा निलामी का आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत अपील के साथ अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं हुए। मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीपक्ष की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब पेश किया गया। जबाब में विवादग्रस्त भूमि पर सम्वत् 2012 से कब्जा काश्त चला आ रहा है, बताया गया परन्तु ऐसा दस्तावेज न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, न इस न्यायालय के समक्ष पेश किया। विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 366 की भूमि बाबत् खातेदारी प्राप्त करने का घोषणात्मक वाद सहायक कलक्टर जोधपुर के न्यायालय में विचाराधीन होने के दस्तावेज की फोटो प्रति हुई। वर्तमान समय में विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के खाते में इन्द्राज है तथा मात्र खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए वाद पेश करने से किसी व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है कि उसके विरूद्ध धारा 91, राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध विवादग्रस्त भूमि से बेदखली करने, जुर्माना से दण्डित करने एवं फसल कुर्क/निलामी करने के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, वो विधि सम्मतः होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है, परिणामस्वरूप अपील अपीलांट निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।